



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.No. F.21(5)/NHM/IM/2016/ 2544

Date: 4/7/16

मिटिंग मिनट्स


दिनांक 27.06.2016 को मिशन निदेशक, एनएचएम महोदय के स्वयं के कक्ष में ई-उपकरण (इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया -

1. प्रबंध निदेशक, आरएमएससी
2. अतिरिक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन, एन,एच,एम,
3. कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम.) आर.एम.एस.सी.,
4. एजीएम-आई.टी., आरएमएससी
5. राज्य नोडल अधिकारी, इन्वेन्ट्री, एन.एच.एम.
6. बायो मेडिकल इन्जीनियर, सॉफ्टवेयर, आर.एम.एस.सी. मुख्यालय
7. सूचना सहायक-इन्वेंट्री
8. सी-डैक प्रतिनिधि

इस बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए :-


1. ई-उपकरण सॉफ्टवेयर में जिलों के द्वारा उपकरणों का त्रुटि सुधार एवं वेरिफिकेशन कार्य को पूर्ण करने (95 प्रतिशत) के लिए एवं आरएमएससी के द्वारा तैयार की गई बायो मेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस-आरएफपी की मिशन निदेशक, एनएचएम द्वारा प्रशंसा की गई।
2. जिन जिलों ने अभी तक अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है, उनसे सीधे कार्य पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किया और पूर्ण नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।
3. ई-उपकरण का लोगो और टैग लाइन तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया।
4. ई-उपकरण सॉफ्टवेयर की आशा सॉफ्ट के तर्ज पर ई-उपकरण की यूजर गाइड तैयार करने के लिए निर्देशित किया।
5. इन्वेंट्री सैल को चार सूचना सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त करने एवं दैनिक रूप से यूजेज मॉड्यूल की निगरानी करने के लिए भी निर्देशित किया।
6. बायो मेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए चयनित एजेंसी के साथ बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के क्रियान्वयन की चर्चा के लिए मिशन निदेशक, एनएचएम की बैठक बुलाने के लिए निर्देशित किया।
7. बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए चयनित एजेंसी के साथ sign किए जाने वाले MoU को यदि आवश्यक हो तो विधिक और वित्तीय राय ले ली जाए।

8. एजेंसी के साथ कार्य करने से पूर्व बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस सम्बन्धी सभी प्रकार की Modalities को जाँच लेना तथा तय कर देने के लिए निर्देशित किया यथा
 - a. सॉफ्टवेयर में कम्पलेन्ट मॉड्यूल सम्बन्धी सभी प्रकार की रिपोर्ट्स को जोड़ा जाए।
 - b. सॉफ्टवेयर में कम्पलेन्ट मॉड्यूल के अन्दर कम्पलेन्ट आईडी, ऑटो एसएमएस/ईमेल जनरेट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
 - c. राज्य के सभी संस्थानों में एजेंसी के कॉल सेन्टर से सन्वय करने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करना।
 - d. उपकरणों पर होलोग्राम लगाने की व्यवस्था करना जिससे की उपकरण की uniqueness बनी रहे।
 - e. Frequently Asked Questions (बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस एवं सॉफ्टवेयर सम्बन्धी) तैयार करना।
 - f. संस्थाओं के द्वारा बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस शिकायत की प्रक्रिया निर्धारित एवं स्पष्ट करना।
 - g. एजेंसी के द्वारा बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए की जाने वाली समस्त गतिविधियों की समय-सीमा निर्धारित करना।
9. बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के कार्य के लिए एजेंसी द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि की जिला अस्पताल में बैठने की व्यवस्था करवाना।
10. आशा सॉफ्ट की तरह ही ई-उपकरण के लिए हैल्पलाइन नम्बर की आईईसी संस्थानों में करवाना।


 (ओम कसेरा)
 प्रबंध निदेशक
 आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव चि0 स्वा0 एवं प0 क0 व मिशन निदेशक, एन.एच.एम. जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी।
3. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त राजस्थान।
5. एसओ-एचआर, एनएचएम।
6. उपरोक्त सम्बन्धित समस्त अधिकारी वास्ते पालनार्थ।
7. जोनल बायोमेडिकल इंजीनियर, राजस्थान।
8. DPM / DM&EO
9. सर्वर प्रभारी रूम। *upload on website - e-uphm*
10. रक्षित पत्रावली


 राज्य नोडल अधिकारी
 इन्वेंट्री एवं एससीएम